

संवैधानिक न्यायालय के आदेश का पालन

प्रति,

1. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) - भोपाल एवं इंदौर।
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
3. पुलिस अधीक्षक रेल - भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर।
4. पुलिस अधीक्षक / सहायक पुलिस महानिरीक्षक - सायबर सेल, एस.टी.एफ., अ.अ.वि., ए.टी.एस., नारकोटिक्स-इंदौर।

विषय: संपूर्ण जांच/ अन्वेषण कार्य को डिजिटल रूप से संपादित किए जाने तथा सीसीटीएनएस एवं ई-साक्ष्य पोर्टल पर संधारण किए जाने एवं न्यायालय को केस डायरी उपलब्ध कराने के संबंध में ।

--00--

यह अपेक्षित है कि विवेचना का समस्त कार्य डिजिटल रूप में परिवर्तित करके सीसीटीएनएस तथा ई-साक्ष्य पोर्टल पर संधारित किया जाये। अंतिम प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही ई-प्रोसीक्यूशन के जरिये अभियोजक को तथा आई.सी.जे.एस. के माध्यम कोर्ट इनफार्मेशन सिस्टम के जरिये न्यायालयों को भेजने की व्यवस्था है। परन्तु महाधिवक्ता कार्यालय एवं माननीय उच्च न्यायालय भी कभी कभी केस अभिलेख तथा डायरी भौतिक रूप से चाहते हैं। यदि संवैधानिक न्यायालय अथवा महाधिवक्ता कार्यालय किसी प्रकरण के प्रपत्र, जांच रिकॉर्ड एवं केस डायरी की भौतिक प्रति अथवा सॉफ्ट कॉपी की मांग करता है, तो प्रदेश की समस्त पुलिस इकाईयाँ अपने अधीनस्थ पदस्थ विवेचक तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें-

1. थाना प्रभारी/जांच अधिकारी सीसीटीएनएस पोर्टल से संबंधित अभिलेख का प्रिंटआउट निकालकर उपलब्ध कराएंगे।
2. वैकल्पिक रूप से अभिलेख को पासवर्ड सुरक्षित पीडीएफ के रूप में हार्ड डिस्क में उपलब्ध कराया जा सकता है।
3. प्रिंटआउट/सॉफ्ट कॉपी पर " सीसीटीएनएस पोर्टल से प्रमाणित प्रति" अंकित कर जांच अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं सील की जाए ।

(विशेष पुलिस महानिदेशक अ0अ0वि0 द्वारा अनुमोदित)

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (विधि-1)
अअवि पुलिस मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अति. पुलिस महानिदेशक, एससीआरबी पु.मु. भोपाल ।
2. समस्त अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोन म.प्र. ।
3. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज, म.प्र. ।

Digitally signed by
Helen Sonali Suna
Date: 18-08-2026
17:00:48

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (विधि-1)
अअवि पुलिस मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)